भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4269

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न, अनाज और दालों का पोषणवर्धन

4269. श्री सी. एन. अन्नादुरई:

श्री नवसकनी के.;

श्री जी. सेल्वम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से पोषणवर्धित खाद्यान्न, अनाज और दालें उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो आपूर्ति किये जा रहे पोषणवर्धित खाद्य प्रकारों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें किस प्रकार के पोषक तत्व मिलाए गए हैं;

(ग) वे कौन से राज्य और संघ राज्यक्षेत्र हैं जहां वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पोषणवर्धित अनाज, दलहन और दालें वितरित की जा रही हैं;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्न, अनाज और दालों के पोषणवर्धन के लिए क्या मानक अपनाये गये हैं;

(ड.) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित पोषणवर्धित खाद्य पदार्थों की नियमित गुणवत्ता जांच करती है और यदि हां, तो ऐसे गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पोषणयुक्त अनाज के वितरण से कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या में गिरावट आई है;

(छ) यदि हां, तो पोषणवर्धित खाद्य वितरण के प्रभाव का आकलन करने वाले ऐसे अध्ययनों या रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित भोजन की पोषण गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से केवल चावल, गेहूं और मोटे अनाज वितरित किए जाते हैं। एनएफएसए के तहत पीडीएस के माध्यम से कोई अन्य अनाज और दालें वितरित नहीं की जाती हैं।

इसके अलावा, एनीमिया और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए, भारत सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) तथा केंद्र सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही है। चावल को फोर्टिफाइड करने की प्रक्रिया में वजन के अनुसार 1% फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके) के साथ कस्टम-मिल्ड चावल को मिलाकर आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 से संवर्धित करना शामिल है।

(घ): चावल फोर्टिफिकेशन पहल, खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन) विनियम, 2018 और उसके बाद के संशोधनों में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करती है।

(ड.): पीडीएस और ओडब्ल्यूएस के माध्यम से वितरण के लिए केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के गुणवत्ता मानकों का पता लगाने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन निरीक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खरीद से लेकर वितरण तक खाद्यान्न के गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल तैयार और जारी किया गया है।

(च) और (छ): नीति आयोग ने चावल फोर्टिफिकेशन पहल के प्रभावी मूल्यांकन की निगरानी के लिए एक कोर समिति गठित की है। नीति आयोग और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आईसीएमआर-एनआईएन) ने भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले आयरन फोर्टिफाइड चावल के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए देश के छह अलग-अलग राज्यों (तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम) के छह जिलों में अध्ययन किया है। इस अध्ययन में सभी आयु समूहों को शामिल किया गया है, एक टाइम-सीरीज, रिपीट क्रॉस-सेक्शनल डिज़ाइन का उपयोग किया गया है और लगभग 10,000 व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

इस अध्ययन में एक वर्ष के अंतराल पर बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन मूल्यांकन शामिल है। वर्तमान में, सभी राज्यों में बेसलाइन सर्वेक्षण डाटा संग्रह पूरा हो चुका है, और बाद के चरण के लिए डाटा संग्रह अध्ययन प्रोटोकॉल के अनुसार आगे बढ़ेगा।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से चंदौली जिले में चावल फोर्टिफिकेशन पर प्रभावोत्पादकता और प्रभावशीलता अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चला कि चावल फोर्टिफिकेशन की शुरुआत के बाद बच्चों (6-59 माह) में पाई जाने वाले एनीमिया में 7.5% अंकों की महत्वपूर्ण कमी आई है, जो 65.7% (बेसलाइन: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, जनवरी 2021) से घटकर 58.2% (एंडलाइन: जुलाई-अगस्त 2023) रह गई है।

(ज): फोर्टिफाइड चावल और गेहूं के अलावा पीडीएस में मोटे अनाज तथा छह सूक्ष्म मिलेट्स (श्री-अन्न) शामिल किए गए हैं। खाद्यान्नों में विविधता लाने के उद्देश्य से गेहूं/चावल के एक भाग की जगह मोटे अनाज/ मिलेट्स (श्री-अन्न) को पीडीएस में शामिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाता है।

*****